<u>प्रकरण संख्या 28/2022 श्रीमती लेहरीबाई बनाम फतहसिंह</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विजनवास, तहसील मावली स्थित आराजी नंबर 646 रकबा 0.0486 हैक्टर, 3375/648 रकबा 0.2347 हैक्टर एवं 648 रकबा 0.2266 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि में आने–जाने का रास्ता प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित होकर विपक्षी संख्या 1 की खाते की आराजी नंबर 3491/644 व बिलानाम आराजी नंबर 644 में से है, जिससे वह हल बैल आदि ले जाते हैं। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विपक्षी संख्या 1 रास्ते में रूकावट उत्पन्न करते हैं। अतः प्रार्थी को दोनों आराजियात में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। विपक्षी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 07.11.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.12.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से वकील श्री रघु कुमार डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ [illegible] 96 [illegible]दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] कि आराजी नंबर 3491/644 में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है, जबकि प्रार्थी ने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested

उसे पक्षकार नहीं बनाया है, केवल दिनेश को ही पक्षकार बनाया है, खेमराज के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी अनुसार अपीलान्ट विवादित आराजी के 1/4 हिस्से की खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय विवादित आराजियात की अपीलान्ट 1/4 हिस्से की रेकार्डेड खातेदार है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया, जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने उसकी आराजी से 30 फिट चौड़े रास्ते का आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 फतेहसिंह ने अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दिया है, जिससे उसका वाद चलने योग्य नहीं है। पटवारी ने अन्य वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में मौका पर्चा बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया, जो सही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा सभी खातेदारों को सुनकर निर्णय किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय रास्ते [illegible] जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में आराजी नंबर 3491/644 में अपीलान्ट लेहरीबाई 1/4 हिस्से की खातेदार दर्ज है, किन्तु प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने सिर्फ दिनेश जो उक्त आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार है, उसे ही पक्षकार बनाया है, अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अलावा पर्चा मौका भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एकतरफा मौका पर्चा के आधार पर पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested